कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

बिहार में खान और खनिज से प्राप्तियाँ खान और भूतत्व विभाग द्वारा प्रशासित की जाती हैं। बिहार में पाए जाने वाले लघु खनिजों में, बालू पत्थर, मुर्रम, मिट्टी एवं ईंट मिट्टी, अभ्रक, सिलिका, क्वार्ट्ज और क्वार्टजाइट हैं। राज्य के सभी 38 जिलों में खनन कार्यालय स्थित हैं, जिनमें से प्रमुख खनिज (चूना–पत्थर) का खनन कार्य केवल रोहतास जिले में किया जाता है। बिहार में खनिजों (चूना–पत्थर, बालू, पत्थर और मिट्टी के अलावा) का उत्खनन वर्तमान में नहीं किया जा रहा है।

(कंडिका 1.1, पृष्ठ 1)

लेखापरीक्षा ने पाया कि खान एवं भूतत्व विभाग के उदासीन रवैये के कारण जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन अधूरे रहे।

(कंडिका 2.1, पृष्ठ 10)

बालू घाटों के समन्वयों को गूगल अर्थ प्रो पर प्लॉट किया गया था और उपलब्ध मुफ्त छवियों के अनुसार यह पाया गया था कि खनन योजना में खनन गतिविधियों के लिए अनुमोदित दो जिलों के पाँच बालू घाटों का क्षेत्र सही नहीं था। इसके अलावा, रोहतास जिले के परुहार बालू घाट में उच्च तीव्रता वाले विद्युत टॉवर (एक स्थायी संरचना) के बीच में बालू निष्कर्षण के लिए खनन क्षेत्र दिया गया था जो सतत बालू खनन प्रबंधन दिशानिर्देश 2020 के अनुसार निषिद्ध था।

(कंडिका 2.2.1, पृष्ठ 13)

यह भी देखा गया कि बालू खनन के लिए क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्रों जैसे पुलों के पास और नदी के बीच में आवंटित किया गया था।

(कंडिका 2.2.2, पृष्ठ 17)

खान एवं भूतत्व विभाग ने अभ्रक, क्वार्ट्ज/क्वार्टजाइट और सिलिका को लघु खनिज के रूप में घोषित करने के बाद भी इनकी नीलामी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

(कंडिका 2.4, पृष्ठ 22)

लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला समाहर्त्ता, भागलपुर ने खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा संशोधित खनन योजना का अनुमोदन न किए जाने के कारण नौ बालू घाटों के पट्टे रद्द कर दिए और प्रतिभूति जमा ₹ 1.76 करोड़ वापस कर दिए जो बिहार बालू खनन नीति, 2013 के प्रावधानों के विरुद्ध थी। साथ ही, दूसरी सबसे अधिक बोली लगाने वाले को पट्टा की पेशकश नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.63 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ था।

(कंडिका 3.1, पृष्ठ 23)

सात जिला खनन कार्यालयों ने बन्दोबस्त राशि की गणना करते समय अधिवर्ष का एक अतिरिक्त दिन शामिल नहीं किया। इसके कारण, ₹ 0.32 करोड़ जिला खनिज फाउण्डेशन निधि और ₹ 1.28 करोड़ के लिए मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस में अंशदान की कमी के अलावा ₹ 16.05 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

(कंडिका 3.2, पृष्ठ 25)

आठ जिलों में बालू घाट के पट्टेदारों ने एक से 225 दिनों के बीच की देरी के साथ रॉयल्टी/बन्दोबस्त राशि का भुगतान किया। विलम्बित भुगतान पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ₹ 10.22 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया गया था।

(कंडिका 3.3, पृष्ठ 26)

आठ जिला खनन कार्यालयों में 2015–19 की पट्टा अवधि को पिछले वर्ष की 50 प्रतिशत बन्दोबस्त राशि में वृद्धि के साथ 31.12.2021 तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन संबंधित जिला खनन कार्यालयों ने विस्तारित अवधि के दौरान सुरक्षित जमा के रूप में ₹ 94.97 करोड़ की वसूली नहीं की।

(कंडिका 3.4, पृष्ठ 26)

आठ जिलों में, पट्टे की अवधि 2015–19 के लिए पंजीकृत विलेख का निष्पादन नहीं करने और सितंबर 2021 तक की अवधि को बढ़ाने के लिए पट्टेदारों से मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस की वसूली नहीं की गई थी, जिससे ₹ 97.41 करोड़ का नुकसान हुआ।

(कंडिका 3.5, पृष्ठ 27)

पत्थर खदान के फरवरी 2015 और दिसंबर 2018 में क्रमशः भधोखरा में ब्लॉक संख्या 10 में और नवादा जिले के खखंडुआ में ब्लॉक–ए और बी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी के बाद भी, अंतिम बन्दोबस्त नहीं किया गया था। तथापि, उपग्रह छवियों के अध्ययन के दौरान भधोखरा में ब्लॉक संख्या 10 में खनन कार्यकलापों को देखा गया था, हालाँकि उक्त पत्थर खदान उस अवधि में काम नहीं कर रही थी।

(कंडिका 3.7.1, पृष्ठ 29)

जुलाई 2016 में कैमूर में 20.75 एकड़ (मौजा–मदुरना, थाना–भभुआ) के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी और सितंबर 2017 में खनन योजना को मंजूरी दी गई थी, लेकिन खनन योजना के अनुमोदन के चार साल बीत जाने के बाद भी पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की जा सकी। जिला खनन पदाधिकारी ने पट्टा निरस्त करने और जमानत जमा राशि जब्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

(कंडिका 3.7.2, पृष्ठ 31)

जिला खनन पदाधिकारी, शेखपुरा ने सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खनन के लिए जिले में 30 पत्थर ब्लॉक तैयार किए, जिनमें पत्थर ब्लॉक का सत्यापन नहीं होने और जिला खनन पदाधिकारी के लापरवाही के कारण 9 ब्लॉक बिना बन्दोबस्त के रह गये।

(कंडिका 3.7.3, पृष्ठ 32)

जिला समाहर्त्ता/जिला खनन पदाधिकारी पट्टा देने से सात वर्ष बीत जाने के बाद नवादा में भधोखरा मौजा के ब्लॉक 7 के पत्थर के पट्टे के लिए बन्दोबस्त राशि ₹ 9.21 करोड़ प्राप्त करने में विफल रहे। पट्टेदार द्वारा केवल पहली किश्त की राशि जमा की गई थी। इसके अलावा, जिला समाहर्त्ता/जिला खनन पदाधिकारी ने बन्दोबस्त राशि प्राप्त न होने पर पट्टे को रद्द करने और पुनर्बन्दोबस्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा, गूगल अर्थ प्रो पर इस पट्टे की छवियों के अध्ययन से पता चला है कि खनन गतिविधियों को विभिन्न अवधियों के दौरान इस पत्थर ब्लॉक में किया जा रहा था।

(कंडिका 3.8.1, पृष्ठ 33)

जिला खनन पदाधिकारी, गया, मौजा–गेरे, ब्लॉक–1 (क्षेत्र 12.50 एकड़) की बन्दोबस्त हुई। पत्थर खदान के लिए ₹ 7.40 करोड़ के पाँचवीं किश्त की राशि को प्राप्त करने में विफल रहे। जिला खनन पदाधिकारी, रोहतास अनुमोदित खनन योजना के मुकाबले चूना–पत्थर की कम निकासी के कारण ₹ 7.48 करोड़ के सरकारी राजस्व की सुरक्षा नहीं कर सके। 14 जिला खनन कार्यालयों में, अवैध रूप से संचालित 2,926 ईंट भट्ठों से ₹ 61.08 करोड़ की रॉयल्टी और जुर्माना वसूल नहीं किया जा सका।

(कंडिका 3.8.2, 3.10 और 3.13.2, पृष्ठ 34, 36 और 40)

भौगोलिक सूचना प्रणाली अध्ययन लेखापरीक्षा द्वारा विशेषज्ञ एजेंसी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना की मदद से किया गया था। अध्ययन से पता चला है कि अभिरूचि के क्षेत्रों में सभी बालू घाटों के बाहर अवैध खनन किया जा रहा था। यह प्रवृत्ति वर्ष 2019 और 2020 में सभी अभिरूचि के क्षेत्रों के लिए चयनित महीनों में जारी रही। चयनित अभिरूचि के क्षेत्रों

में, उपग्रह छवियों के विश्लेषण से अवधि के दौरान अवैध खनन का पता चला। यह भी देखा गया कि अवैध खनन का चलन बढ़ रहा था।

(कंडिका 4.1 और 4.2, पृष्ठ 43 और 53)

तीन जिलों में सोन बालू घाटों में उपलब्ध उपग्रह छवियों का गूगल अर्थ प्रो पर के विष्लेषण से पता चला कि खनन गतिविधियाँ पर्यावरणीय प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना 12 बालू घाटों में की गई थीं। गूगल अर्थ प्रो की पुराने छवियों में खनन गतिविधियों को देखा गया था, हालाँकि पट्टेदारों ने दो बालू घाटों से शून्य निष्कर्षण की सूचना दी थी– 2018 और 2019 में क्रमशः पटना जिले के जनपारा–I एवं आनंदपुर में और 2020 में भोजपुर जिले के एक बालू घाट चिलहौस में।

(कंडिका 4.3.1 और 4.3.2, पृष्ठ 57 और 60)

20 नियोजित सॉफ्टवेयर मॉड्यूल में से, केवल पाँच कार्यशील पाए गए थे। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना के संबंध में, केवल ई–चालान उत्पन्न करने और उन्हें मैन्युअल रूप से अवरुद्ध करने की सुविधा को कार्यशील बनाया गया था। ई–चालानों में सुरक्षा विशेषताएँ होनी चाहिए जैसा कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना में उल्लिखित है, तथापि, यह मौजूद नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान बहुत सारे नकली ई–चालान पाए गए थे। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग केवल नियंत्रण के बिना ई–चालान उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा था क्योंकि अन्य मॉड्यूल कार्यशील नहीं थे।

(कंडिका 4.4, पृष्ठ 64)

14 नमूना जिलों में, 8 मीट्रिक टन से 10.89 लाख मीट्रिक टन तक के खनिजों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले एम्बुलेंस, बस, ऑटो रिक्शा, कार, मोटरसाइकिल आदि के 46,935 अवास्तविक वाहनों की पंजीकरण संख्या का उपयोग करके 2,43,811 ई–चालान उत्पन्न किए गए थे।

(कंडिका 4.5, पृष्ठ 66)

11 जिला खनन कार्यालयों में 15,723 मामलों में बालू ले जाने के लिए एक दिन में एक वाहन के लिए 11 से 861 ई–चालान बनाये गये। चार जिलों में, संबंधित पट्टेदारों ने 2018 से 2020 के दौरान एक खास वाहन द्वारा एक दिन में 10 बार से 142 बार ई–चालान उत्पन्न कर पत्थर निर्गत किया गया।

(कंडिका 4.6, पृष्ठ 68)

16 कार्य प्रमण्डलों में 21,192 फर्जी ई–चालान का उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यों में किया गया था।

(कंडिका 4.7, पृष्ठ 70)

14 नमूना जिला खनन कार्यालयों में यह पाया गया कि दिसम्बर 2014 से सितम्बर 2021 तक जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के लिए ₹ 91.86 करोड़ की वसूली की गई थी, जिसके विरुद्ध केवल ₹ 9.56 करोड़ खर्च किए गए थे। इस प्रकार, ₹ 82.30 करोड़ जमा रह गए और अप्रयुक्त रहे। जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का उपयोग न किए जाने के कारण इसका उद्देश्य अपूर्ण रह गया।

(कंडिका 5.1, पृष्ठ 76)

पाँच जिला खनन कार्यालयों ने 2018–21 के दौरान बालू और पत्थर खदानों के पट्टेदारों से जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के लिए ₹ 1.87 करोड़ योगदान की वसूली सुनिश्चित नहीं की। 11 जिला खनन कार्यालयों ने 2017–18 से 2020–21 के दौरान 6,164 ईंट भट्ठा मालिकों से ₹ 0.62 करोड़ की वसूली नहीं की।

(कंडिका 5.6, पृष्ठ 79)

दो जिला खनन पदाधिकारियों ने बालू के अतिरिक्त निष्कर्षण के लिए ली गई रॉयल्टी पर ₹ 21.16 लाख जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के लिए अंशदान आरोपित नहीं किया। 10 जिला खनन पदाधिकारियों ने 2016 से 2021 के दौरान बालू घाट के पट्टेदारों से जिला खनिज

फाउण्डेशन निधि के देरी से भुगतान पर ब्याज नहीं आरोपित किया और तीन जिला खनिज पदाधिकारियों ने पत्थर खदानों के पट्टेदारों से जिला खनन फाउण्डेशन निधि के देरी से भुगतान पर ब्याज नहीं आरोपित किया। सात जिला खनन कार्यालयों में, साधारण मिट्टी के निष्कर्षण के लिए ठेकेदारों/एजेंसियों द्वारा रॉयल्टी के रूप में ₹ 10.91 करोड़ जमा किए गए थे, लेकिन संबंधित जिला खनन पदाधिकारियों ने ठेकेदारों/एजेंसियों से ₹ 4.58 करोड़ के लिए जिला खनिज फाउण्डेशन निधि एवं मालिकाना शुल्क नहीं आरोपित किया।

(कंडिका 5.7, 5.8 और 5.10, पृष्ठ 79, 80 और 81)

14 जिला खनन कार्यालयों में लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2017–18 से 2020–21 के दौरान खनिजों के अवैध खनन की लगातार सूचना दी जा रही थी। खनिजों के अवैध खनन के संबंध में कुल 4,608 प्राथमिकियाँ दर्ज की गई थी और 4,423 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2017–18 से 2020–21 के दौरान अवैध खनन पर जुर्माने से कुल राशि ₹ 113.30 करोड़ रुपये की वसूली की गई।

(कंडिका 6.1, पृष्ठ 84)

अवैध खनिजों के परिवहन में संलिप्त जब्त वाहनों के संदर्भ में जिला परिवहन कार्यालय और जिला खनन कार्यालय के बीच समन्वय न होने के कारण रॉयल्टी/जुर्माने के रूप में ₹ 4.20 करोड़ के राजस्व की हानि हुई थी क्योंकि इन वाहनों के दस्तावेज संबंधित जिला खनन कार्यालयों को हस्तांतरित नहीं किए गए थे।

(कंडिका 6.2, पृष्ठ 85)

कृषि प्रयोजनों के लिए पंजीकृत ट्रैक्टरों का वाणिज्यिक कार्यकलापों में अवैध उपयोग के कारण मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ₹ 12.77 करोड़ के राजस्व की हानि हुई थी।

(कंडिका 6.3, पृष्ठ 85)

विभाग के डेटाबेस को वाहन सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत नहीं किया गया था। सॉफ्टवेयर में इस सुविधा के अभाव में, वाहनों की लदान क्षमता से अधिक के 17,03,104 ई–चालान उत्पन किए गए थे।

(कंडिका 6.4, पृष्ठ 86)

14 नमूना जिलों में वर्ष 2018 से 2020 के दौरान खनिज परिवहन के लिए 82,990 अयोग्य वाहनों का उपयोग किया गया था।

(कंडिका 6.5, पृष्ठ 87)

13 जिला खनन कार्यालयों में, 31 मार्च 2021 तक ₹ 229.43 करोड़ के 20,700 नीलामवाद मामले लंबित थे।

(कंडिका 6.6, पृष्ठ 87)

वर्ष 2017–18 से 2020–21 की अवधि के लिए पाँच जिला खनन कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गए मानव बल प्रबंधन, बालू पट्टा क्षेत्र, पत्थर पट्टे क्षेत्र, ईंट भट्ठों के निरीक्षण से संबंधित अभिलेखों की जाँच के दौरान कई कमियाँ पाई गईं। इसके अलावा, खान उपनिदेशक या किसी उच्चतर प्राधिकारी द्वारा संबंधित जिला खनन कार्यालयों का पर्याप्त निरीक्षण नहीं किया गया था।

(कंडिका 6.7 और 6.8, पृष्ठ 88 और 89)